राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–2022 / 2016 / जयपुर

मै0 डिलीजेन्ट पिंकसिटी सेन्टर प्रा0लि0,भोपाल
रीको इण्ड. एरिया,सीतापुरा जयपुर
द्वारा संदीप जैन, जयपुर ....प्रार्थी

बनाम

1.उप पंजीयक, पंचम,जयपुर
2.कलक्टर (मुद्रांक), पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग, जयपुर। ....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, मालवीय सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुशील डागा, अभिभाषक। ....प्रार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह, उप राजकीय अभिभाषक ......अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.07.2017

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी कम्पनी द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 60 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने प्रार्थी कम्पनी द्वारा क्रय किये गये फ्रेकिंग–स्टाम्प का रिफण्ड चाहा है।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 19.03.2016 को राशि रूपये 1,95,000 / – के स्टाम्प जरिये बैंक आफ बडौदा जयपुर से फ्रेकिंग करवाये एवं उक्त फ्रेकिंग स्टाम्प का उपभोग नहीं हो पाने के फलस्वरूप प्रार्थी कंम्पनी में उनको निरस्त करवाने एवं उनका रिफन्डं प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 60 के तहत मय मूल फ्रेकिंग स्टाम्प के साथ यह निगरानी कर बोर्ड में प्रस्तुत की है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी कम्पनी ने निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 19.03.2016 को बैंक आफ बडौदा जयपुर से राशि रूपये 1,95,000 के स्टाम्प जरिये एडजेस्टिव फ्रेकिंग क्रय किये एवं प्रार्थी कम्पनी ने उनका उपयोग एवं उपभोग नहीं किया जिससे वो काम में नही आ सके। अतः नियमानुसार उक्त राशियों का रिफण्ड प्राप्त करने का प्रार्थी कम्पनी हकदार है। अतः उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकारते हुए प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत फ्रेकिंग स्टाम्पों का रिफण्ड करने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा क्रय किये गये स्टाम्प उपभोग करने चाहिये थे। उपभोग नहीं करने की

स्थिति में वो रिफण्ड प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी कम्पनी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अधिनियम की धारा 60 का विवरण निम्नानुसार है

60. Allowance in case of printed forms no longer required by corporations - The Chief Controlling Revenue Authority or the Collector if empowered by the Chief Controlling Revenue Authority in this behalf may, without limit of time, make allowance for stamped papers used for printed form of instruments by any banker or by any incorporated company or other body corporate, if for any sufficient reason such forms have ceased to be required by the said banker, company or body corporate :

Provided that such authority is satisfied that the duty in respect of such stamped papers has been duly paid.

प्रार्थी कम्पनी द्वारा उल्लेखित तथ्य एवं रिफण्ड प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कारण उचित प्रतीत होने एवं प्रस्तुत मूल एडजेस्टिव स्टाम्प को मध्यनजर रखते हुए प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में प्रतीत होने के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत दोनों एडजेस्टिव स्टाम्प रिफण्ड योग्य पाये जाते है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। सम्बन्धित कलक्टर मुद्रांक, जयपुर को निर्देश दिये जाते है कि वें प्रार्थी कम्पनी को मूल एडजेस्टिव स्टाम्प फ्रेकिंग राशि रूपये 1,95,000/– का बाद सत्यापन रिफण्ड नियमानुसार जारी करें। निर्णय की प्रति के साथ मूल फ्रेकिंग स्टाम्प कलक्टर मुद्रांक, जयपुर को भिजवाये जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य